

गुलाबचन्द प्रसाद आग्रावाला कॉलेज

साड़मा, छत्तरपुर, (पलामू)

**“समाजिक अंधविश्वास:
हैदरनगर (पलामू) भूत मेला
के संदर्भ में”**



एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

स्नातक समाजशास्त्र, प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के अष्टम पत्र के
अंतर्गत क्षेत्रीय अध्ययन

सत्र- 2016-2019

सर्वेक्षण कर्ता :-

नाम - सीवी कुमारी

क्रमांक - 17BA14-06244

पंजीयन सं. - NPU/19239116

निर्देशक :-

राज मोहन (व्याख्याता)

समाजशास्त्र विभाग

गुलाबचंद प्र० अ० कॉलेज

साड़मा छत्तरपुर (पलामू)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी ने परिपेक्ष्य में
'समाजिक अंधविश्वास : हैदर नगर (पलामू) भूत मेला के संदर्भ में' शीर्षक अनुसंधान,
स्नातक प्रतिष्ठा समाजशास्त्र विभाग गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल कॉलेज की
..... क्रमांक 17BA1406244 सत्र 2016-2019 मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन
में संपन्न किया।

तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन सत्य के आधार पर अधिकृत है।

Examined
AKM
22/05/19.

Ramesh
22/05/19
मुख्य पर्यवेक्षक

राज मोहन (व्याख्याता)

समाजशास्त्र विभाग

गु0 प्र0 अ0 कॉलेज सड़मा,

छतरपुर, पलामू झारखण्ड

नम :- श्रीमती कुमारी

क्रमांक :- 17BA1406244

पंजीयन संख्या :- 12110/19239/16

सत्र :- 2016-2019

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया परियोजना जिसका शीर्षक "समाजिक अंधविश्वास: हैदरनगर (पलामू) भूत मेला के संदर्भ में" है। समाजशास्त्रीय अध्ययन समाजशास्त्र के प्रतिष्ठा उपाधि कार्यक्रम का आंशिक भाग है।

यह मेरा स्वयं का मूल कार्य है, तथा किसी अन्य अध्ययन कार्य की शर्त को पुरा करने के लिए न तो किसी संस्था में न तो किसी कॉलेज में पहले भेजा है।

नाम :- स्नेही कुमारी

क्रमांक :- 17BA 1406244

पंजीयन संख्या :- NPU/19239/18

सत्र :- 2016-2019

आभार—ज्ञापन

क्षेत्रीय कार्य के इस प्रतिवेदन में मैंने अपने और सहयोगियों तथा निर्देशक के सहयोग से आठ दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन के बाद तैयार किया है। यदि मुझे कतिपय विशिष्ट लोगों से इन कार्यों को पुरा करने में यथोचित सहयोग नहीं मिलता तो मैं अपने क्षेत्रीय कार्यों को कभी पूरा नहीं कर पाता। इन लोगों को विशेष रूप से याद करते हुए यह जानना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के सहयोग के बिना संभव नहीं है।

सर्व प्रथम मैं अपने कॉलेज के सचिव एवं प्राचार्य के प्रति अपना/अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज में समाजशास्त्र का विभाग खोलकर प्रतिष्ठा के हम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए अवसर प्रदान किया।

मैं अपने क्षेत्रीय कार्य के निर्देशक प्रो. राज मोहन (व्याख्याता) समाजशास्त्र के प्रति अपना आभार सच्चे दिल से प्रकट करता हूँ। क्योंकि उन्होंने सब समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के छात्र एवं छात्राओं को सही सुझाव निर्देश एवं अपनी शुभकामना दिया है। महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो ज्ञात-अज्ञात रूप से सहयोग कर मेरा क्षेत्रीय कार्य पुरा करने में सहयोग किया।

उन महान चिंतक समाजशास्त्रीयों का आभारी हूँ, जिनकी सहायता से समाजशास्त्रीय ज्ञान मिला तथा पुस्तकें उपलब्ध हो सकी तथा समाजशास्त्र के प्रति विशेष अभिरुचि पैदा हुई।

मैं पलामू के ग्रामवासियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना शासद मेरा यह प्रतिवेदन अधूरा रह जाता। उन्होंने मुझे क्षेत्रीय कार्यों के कार्य में उदारता पूर्वक समय देकर तथ्यों के संकलन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मैं अभिभाव अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता/करती हूँ।

नाम/ह0 नीली कुमारी

अध्ययन सूची

खण्ड – ए

- आभार ज्ञापन
- पलामू एक नजर में

खण्ड – बी

- प्रस्तावना
- अंधविश्वास क्या है?
- आस्था या समाजिक अंधविश्वास
- झारखण्ड प्रदेश के समाजिक अंधविश्वास के कुछ आँकड़े
- हैदर नगर (पलामू) भूत मेला एक परिचय
- सरईडीह भूत मेला छत्तरपुर (पलामू)
- समाजिक अंधविश्वास डायन-वियाही एक बिकट समस्या
- आत्मा एवं बलि/समर्पण
- वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत

खण्ड – सी

अध्ययन विधि

- समाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य
- समाजिक शोध में उपयोगी प्रविधि – उपकल्पना/प्राकल्पना, प्रश्नावली, अनुसूची, निर्देशन।
- साक्षात्कार अनुसूची का प्रतिलिपि
- ❖ व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि
- ❖ समुहिक साक्षात्कार विधि

- सारणीय, एवं विश्लेषण।

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

- ❖ लिंग के आधार पर
- ❖ आय के आधार पर
- ❖ आयु के आधार पर
- ❖ वैवाहिक स्थिति के आधार पर
- ❖ संदर्भ सूची

निष्कर्ष

फोटो ग्राफ

पलामू जिले का परिचय

झारखण्ड राज्य भगवान बिरसा मुण्डा के पृण्यतिथि 15 नवम्बर 2000 ई० में भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व के रूप में आया। पृथक राज्य का विचार सर्वप्रथम 1983 में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी श्री जयवान सिंह द्वारा स्थापित आदिवासी महासभा का व्यक्त किया था। इसके बाद विभिन्न आंदोलनों के कारण 2 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पूर्ण गठन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया जिसे 11 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे 15 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्राप्त हुई तथा जिसकी राजधानी राँची घोषित किया गया।

झारखण्ड राज्य का पलामू जिला 23°5' और 24°8' अक्षांश उत्तर एवं 83°8' पूर्व देशान्तर पर अवस्थित है। पलामू राँची से 165 किलोमीटर दूर 4808 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिले की मुख्य नदियाँ अमानत एवं कोयल है। जिला मुख्यालय डाल्टनगंज है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुल 3 अनुमण्डल 20 प्रखण्ड 283 पंचायत एवं 1918 गांव है। जनगणना के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 1936319 है जो झारखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7 भाग है।

पलामू जिला कर्क रेखा के निकट होने के कारण यह सष्णकटिबंध में पड़ता है। अतः मई-जून माह में यहाँ भीषण गर्मी तथा दिसम्बर-जनवरी में ठंड भी अधिक पड़ती है। मौनसूनी जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण इस जिला में प्रय 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा होती है।

जनसंख्या :- 1936319

पुरुष :- 1093876

स्त्री :- 932443

ग्राम जनसंख्या :- 1710612

शहरी जनसंख्या :- 225693

क्षेत्रफल :- 5043.8 वर्ग एकड़

नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

अनुमंडल	:-	03
प्रखण्ड	:-	20
पंचायत	:-	283
गांव	:-	1918
वन क्षेत्र	:-	1281434 हेक्टेयर
समुद्र तल से ऊ०	:-	222 मी०
कृषि योग्य भूमि	:-	173553
खनिज सम्पदा	:-	ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोयला, मैगनेटाइट आदि
सामान्य वर्षा	:-	1257.8 मी० मी०
जीविकोपार्जन के मुख्य साधन	:-	खेती, मजदुरी, घरेलु उद्योग, धंधे
मुख्य उद्योग	:-	आदित्य विरला केमिकल्स प्रा० लि० (रेहला)
साक्षरता दर	:-	65.5 प्रतिशत साक्षरो की कुल संख्या 1061012 है।
कैसे पहुँचे	:-	सड़क मार्ग व रेल मार्ग
रेलवे स्टेशन	:-	डाल्टेनगंज स्टेशन
शिक्षा व्यवस्था	:-	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय-01, अंगीभूत महाविद्यालय-04, स्थायी महाविद्यालय-05, अस्थायी महाविद्यालय-11, बी० एड महाविद्यालय-14, बी० पी एड महाविद्यालय-01, इंजिनियरिंग-02, डेन्टल महाविद्यालय-01, लॉ कॉलेज-01,
पलामू के दर्शनीय स्थल	:-	

(1) काली मंदिर रेडमा, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा, शांति की मनी महागिरजाघर, मेदनीनगर का हृदय स्थली छहमुहान, आस्था का प्रतिक चेगौना धाम, महाभारत कालीन भीम चूल्हा, हैदर नगर के देवी धाम में लगता भूत मेला

(2) पर्यटक स्थल— नेतरहाट, बेतला, अमझरिया, केचकी जलप्रपात (बूढाघाघ, धधरी, गुटाम घाघ, हिसातू घाघ, गूंगा घाघ, विष्णुधारा, परसडीह प्रपात)

खण्ड बी

प्रस्तावना

जिस तरह पीछड़े और सुदुरवर्ती इलाके में शिक्षा ग्रहण करने का नई पीढी (युवा वर्गों) के पास प्रयाप्त सुअवसर प्रदान किया जा रहा है ताकि भावी युवा वर्ग देश के कर्णधार सामाजिक अंधविश्वास, सामाजिक बुराईयों तथा सामाजिक कुरृतियों के खिलाफ कमर कस कर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। वही दुसरी ओर सोच के विपरीत वर्तमान परिवेश में अंधविश्वासी और अशिक्षित लोग भोले भाले के चक्कर में पड़कर उनके बातों पर विश्वास कर अस्पताल में डॉ० से न मिलकर ओझा-गुणी के फेरे में पड़कर पीड़ितों को इसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। शारीरिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान तो लाजमी ही है।

पलामू के छत्तरपुर, हुसैनाबाद, और पांकी के इलाकों में अंधविश्वास की जड़े गहरी है। इस सामाजिक अंधविश्वास में पड़कर प्रत्येक वर्ष पुरे जिले में 15-20 लोगों की हत्या अंधविश्वास डायन-ब्याही तथा ओझा-गुणी के नाम पर कर दिया जाता है। इस सामाजिक अंधविश्वास को दुर करने के लिए प्रयासरत पुलिस प्रशासन ने 2015 में सरइडीह में ऐसे ही आयोजन (भूतमेला) को रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया जिसमें एक ग्रामीण मुस्लिम समुदाय के लड़के की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी तथा जनेश्वर कुमार (19 वर्ष) समाजशास्त्र प्रतिष्ठा गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल महाविद्यालय के छात्र को जांघ में गोली लग गई थी। इसके बाद छत्तरपुर थाना के महज 2-2.5 किलोमीटर दुर कुम्याही में शाम सूर्य ढलते ही चेड़ी धाम पर एक ओझा (श्री बिष्णुदेव यादव) को बली दे दिया गया।

इसी चिंता से चिंतित एवं दुखित होकर जागरूकता और सामाजिक अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्नातक समाजशास्त्र प्रतिष्ठा सत्र 2016-19 के क्षेत्रीय कार्य "सामाजिक अंधविश्वास : हैदर नगर (पलामू) भूत मेला के संदर्भ में" क्षेत्रीय अध्ययन कर अपने आप को समाज चिंतक समझ रहा हूँ। परंतु आंतरिक खुशी तब मिलेगी या मेहनत का प्रतिफल तब महसूस करूंगा जब युवा वर्ग इसे गहरी से चिंतन से पढ़कर अमल कर सकेंगे साथ-साथ सामाजिक अंधविश्वास को समाज से मिटाने में सहयोग करेंगे।

अंधविश्वास क्या है ?

शाब्दिक अर्थों में कहा जाय तो अंधविश्वास का अर्थ है- "आंखे मुंदकर विश्वास कर लेना या बिना जाने समझे विश्वास करना। अर्थात् विषय को जाने समझे बिना विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। सामाजिक तौर पर पुरानी रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होकर किए जाने वाले कार्यों को जिसमें कारण अज्ञात होता है हम अंधविश्वास कहते हैं।

हमारा समाज ढोंग पाखण्ड और अंधविश्वास के बेड़ियों में लोभी और गुमराह मुल्लाओं, तंत्र-मंत्र करने वाले गुणियों के शिकार अधिकतर महिलाएँ हुआ करती हैं। चमत्कारी बाबाओं द्वारा महिलाओं के शोषण की बातें हमेशा प्रकाश में आया करती हैं।

शिक्षा के प्रभाव के साथ धर्म का प्रभाव कुछ कम होता है यद्यपि शिक्षा मनुष्य को अधार्मिक नहीं बनाती, ग्रामीण लोग अधिकतर अशिक्षित हैं इसलिये उनमें तरह-तरह के धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियाँ पलती हैं। गाँव के सामाजिक जीवन में भूत-प्रेत चुड़ैल शकुन-अपशकुन आदि विश्वास करते हैं।

आस्था या सामाजिक अंधविश्वास

पलामू के ग्रामीण इलाको में अंधविश्वास की जड़े काफी गहरी है। अक्सर इसकी वजह से लोगों की जाने जाती है। मामला चाहे अफवाह, अंधविश्वास, डायन बियाही या ओझा गुणी के फेरे में पड़कर बीमारियों का इलाज न करने का हो डायन बियाही या ओझा गुणी को चिन्हित करने का हो खामियाजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।

अंध-आस्था (अंधविश्वास) की जड़े काफी गहरी जिसे उखाड़ फेकने का कारगर प्रयास आज तक नहीं किया गया। यह आधुनिक समाज के लिए अभिशाप भी है और सभ्य समाज पर एक कलंक भी है। ओझा-गुणी या डायन-बियाही के नाम पर शारीरिक एवं सामाजिक दण्ड की घटनाएं सामने आया करती है। बीते वर्ष की घटनाएं है 31 जनवरी को रजरप्पा स्थित छिन्न मस्तिका देवी के मंदिर में सी0 आर0 पी0 एफ0 के एक जवान ने स्वयं की बली चढ़ा दी। इससे कुछ माह पूर्व सिमडेगा जिले के एक गांव में बृद्ध दंपत्ति पर डायन-बियाही का आरोप लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया था। इस तरह की न तो पहली घटना है और न ही अंतिम घटना।

सुख शांति और पुण्य के लिए प्रायः देवी-देवताओं की शरण में जाते हैं जहाँ पशु बली देकर आस्था/विश्वाय प्रकट करते हैं। पलामू में चैगौना धाम इसका बड़ा उदाहरण है। यह सब आस्था के नाम पर समाज में "अंधविश्वास को बढ़ाने उसकी जड़े गहरी करने का ही एक सुनियोजित प्रयास है। जब समाज के कथित शिक्षित लोग इस तरह का काम करेंगे जो आम जनता तो उनका नकल करेंगे ही।

पुरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में डायन-बियाही को लेकर सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मगर इसका कोई खास असर समाज पर नहीं पड़ रहा है। इसका मूल कारण है "आस्था के नाम पर समाज के प्रबुद्ध और अगुआ जनो द्वारा की जाने वाली अनुसरण आदि ऐसा होता रहेगा तो हजारों साल की जड़ता कैसे खत्म होगी ?

पलामू समेत अन्य जिले के तमाम पिछड़े व गरीब इलाकों में अंधविश्वास एक बड़ी समस्या है। यह हर दिन किसी न किसी रूप में किसी का बलि ले रहा है।

अनुसूचित जातियों या पिछड़े के साथ-साथ तथाकथित विकसित और पढ़-लिखे समाज में भी यह गहरे रूप से व्याप्त है।

पलामू में सामाजिक अंधविश्वास पिछले 20 वर्षों में 200 से भी अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। इस जिले के -

1. छत्तरपुर प्रखण्ड के काला पहाड़ी गांव में एक अंधेड महिला को सर्पे पंचायत में नंगा नचाया गया और गांव से निकालने के लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग रास्ते में तेज हथियार से उसके अंगों को काटते हैं, जिससे महिला की मौत हो गई। इसके बाद गांव की सीमा पर उसे जला दिया गया।
2. छत्तरपुर के ही गांव में एक गांव में साधु ठाकुर नामक कथित ओझा का परिवार सहित एक कोठरी वाले मकान में बंद कर आग लगा दी गई, जिससे पांच सदस्यीय परिवार (पति-पत्नी और तीन बच्चे) जल कर राख हो गए।
3. हुसैना बाद में एक ही परिवार के आठ सदस्यों को मार कर सोन नदी में बहा दिया गया।
4. छत्तरपुर स्थित बैरियाडिह निवासी श्री बिष्णुदेव यादव (55 वर्ष) को सूर्य ढलते ही चेडीघाम पर तेज हथियार से (ओझा बताकर) निर्मम हत्या कर दिया गया।

इस तरह के हजारों घटनाएँ हैं जो न तो पहली हैं और न तो अंतिम। जो होती रहती हैं कुछ का प्राथमिक दर्ज होता है कुछ का

5. 18 अगस्त 2017 पांकी थाना क्षेत्र के ठेठही आंगदा गांव में शांति देवी के हत्या के मामले में शामिल गांव के ओझा मंगल भुईया और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया तथा जेल भेजा।

झारखण्ड प्रदेश के समाजिक अंधविश्वास के कुछ आँकड़े

अंधविश्वास एक समाजिक समस्या है जो ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। असभ्य, सभ्य तथा कृषक तीनों समाजों में अंधविश्वास की जड़े गहरी हैं। झारखण्ड प्रदेश के क्षेत्रों के आँकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है, कि 1991-2000 तक उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रों के गांवों में 522 महिलाओं की हत्या डायन वियाही के नाम पर की गई। 1991-2005 तक 1400 महिलाओं को डायन वियाही के आरोप में अपमानित कर मार डाला गया है।

2001-2005 तक के जिलावार आँकड़े:-

जिला	डायन वियाही के नाम पर महिला की हत्या
पलामू	038
गढ़वा	017
हजारीबाग	015
जमशेदपुर	010
चाईवासा	109
लोहरदागा	104
गुमला	089
रांची	124

आँकड़ा -सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट से ली गई है

हैदर नगर (पलामू) भूत मेला एक परिचय

पलामू जिले के हैदरनगर भूत मेला 21वीं सदी में भी चर्चा का विषय बना रहता है। चैत शुक्लपक्ष एकम से नवमी तक यहां कई प्रदेशों के लोग पहुँचते हैं। यहां पहुँचने वाले में ग्रामीणों की संख्या ज्यादा होती है ऐसा प्रथम दृश्य से प्राप्त होता है। उल्लेखनिय है कि पलामू में बहुल आदिम एवं कृषक समुदाय निवास करते हैं। खास तौर पर आदिवासी समुदाय में टोटम, झाड़-फूक एवं भूत-प्रेत, डायन-वियाही को लेकर ज्यादा विश्वास किया जाता है। यही कारण है कि बाहरी बाधाओं से निवारण की यह प्रक्रिया सालों (200वर्ष) से यथावत चली आ रही है। मेले में प्रेत बाधा (अबिद्या) साया से ग्रसित होने वाले लोगों के हाथों में कभी जंजीर बंधी होती है तो किसी के पैरों में बेड़ियां होती हैं। कोई नाच रहा होता है तो कोई अजिब तरह का हरकत करता है। लोग कहते हैं— यह वे लोग हैं जिनपर भूत-प्रेत का साया है।

पलामू के हुसैनाबाद के हैदरनगर में पिछले 100 वर्षों से लगते आ रहा है भूतो का मेला। हुसैनाबाद थाना पलामू के मेदिनीनगर मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस धाम को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। हैदरनगर को भूतो का गांव कहा जाता है।

एक तरफ लोगों में अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में सरकार लाखों रुपये खर्च करती है वहीं झारखण्ड राज्य के पलामू जिला अवस्थित हैदरनगर में पुलिस प्रशासन की निगरानी में भूतों का मेला लगता है।

मनोवैज्ञानिक भूत-प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। उनके अनुसार मेले में आने वाले लोग निश्चित तौर पर किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं उनकी परेशानी मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को परिजन भूत मेला में लेकर आते हैं दरअसल में किसी भी रोग के इलाज के लिए विश्वास जुड़ा है इसी विश्वास के बदौलत उन्हें फायदा भी जल्दी मिलता है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक तरिका है।

मंगल ग्रह पर दुनिया के बसने की एक ओर कल्पना है, तो दुसरी ओर हम आज भी "अंधविश्वास" के मकड़जाल में फंसे हैं। आज भी लोग भूत-प्रेत, जादू-टोना के मकड़जाल से बाहर नहीं निकल पाये हैं। पलामू प्रमंडल के हैदरनगर देवी धाम ही नहीं बल्कि बिहार और झारखण्ड के दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहां कथित प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों को लेकर आने वाले ओझा-गुणियों की सुरक्षा से प्रशासन प्रबंध करती है। देश में यह कैसा कानून है जिसमें एक ओर सजा का प्रावधान है तो दुसरी ओर उन्हे सुरक्षा व सुविधाएं मुहैया करायी जाती है।

चैती नवरात्र की पूजा के साथ श्रधालुओं का आना शुरू हो जाता है। मेलों में बड़ी संख्या में कथित प्रेत बाधा से पीड़ित लोग पहुंचते हैं। मेला में चारों ओर अंधविश्वास का बोल बाला हो। ओझा गुणियों के साथ अधिकतर संख्या महिलाओं की होती है उनमें ऐसे भी वैसी महिलायें अधिक होती हैं जो अशिक्षित और पीछड़े समुदाय से होते हैं। उन भोले भाले लोगों को ओझा गुणी या उनके दलाल बिचौलिया अपने जाल में फसा कर अंधविश्वास की दलदल में झोक दिया करते हैं।

मेला शुरू होने के साथ ही ओझा-गुणी व प्रेत बाधा से ग्रसित पीड़ित लोग तंबु लगाकर पूजा, भजन तथा पाठ में लीन हो जाते हैं। देवी मां के गीतों के साथ ढोल झाल इत्यादि की ध्वनि से गुंजयमान हो जाता है।

हैदरनगर के देवी धाम परिसर में ही "जिन्न बाबा का स्थान" चबुतरा है। मुस्लिम समुदाय के लोग प्रायः सामान्य रूप से जिन्न बाबा के स्थान में फतेहा कराते हैं चादर चढाते हैं एवं मुर्गों को दाना चराते हैं जैसे यह कहे तो यह सिल सिला सालों भर चलता है।

भूतों का प्रभाव

शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित महिला/पुरुष को ओझा-गुणी अपने मकड़ जाल में फसाकर यहां ले आते हैं और उनके बालों को खोलकर जोर जोर से घुमाते हैं, मारते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं। ओझा-गुणी का कहना होता है कि इन पर भूतों का प्रभाव है जो यहां आकर मनुष्य के शरीर से निकल जाते हैं।

अंधविश्वास संग आस्था का बाजार

हैदर नगर में ऐसे तो सालों भर मानसिक रूप से बिमार लोग आया करते हैं लेकिन नवरात्र के मौके पर प्रेतबाधा से मुक्ति के लिए विशेष आस्था मानी जाती है।

प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाने वाले ओझा

हैदर नगर स्थित देवी मां के मंदिर में करीब दो किलोमीटर की परिधि में लगने वाले इस मेले में भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति दिलाने में लगे ओझा की बातें माने तो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर से भूत उतार दिया जाता है और मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित पीपल के पेड़ में लोहे के बने चिल्लम (कील) में बंद कर गाड़ दिया जाता है।

सरईडीह भूत मेला छत्तरपुर (पलामू)

झारखण्ड के पलामू जिले के सुदुरवर्ती क्षेत्र छत्तरपुर अनुमंडल के नौडिहा बाजार प्रखंड अंतर्गत करकड़ा पंचायत स्थित झरीवा नही के तट पर अजीब नजारा देखने को मिलता है।

यहां भूत मेला के नाम से एक बड़ा आयोजन किया जाता है, आयोजकों का दावा है कि यहां आने वाले लोगों को भूत-प्रेत के चंगुल से निकाला जा सकता है।

स्थानीय लोगो के अनुसार इस मेले में जाने वाले लोगों को झरीवा नदी में नहलाया जाता है। आयोजको का दावा है कि -तंत्र मंत्र से नदी के पानी को इस कदर प्रभावित किया गया है कि इसमें नहाने वाले भूत-प्रेत के चंगुल में फसे लोग झुमने लगते हैं।

आज इस वैज्ञानिक युग में भी लोगो का इस तरह का आस्था और अंधविश्वास का खेल देखने को मिलता है। जहां लोग मनोविज्ञान के डॉक्टर से दवा न कराकर अंधविश्वास के मकरजाल में फसकर जिंदगी की तलाश में मौत को गले लगा रहे हैं।

समाजिक अंधविश्वास : डायन-वियाही एक बिकट समस्या

डायन वियाही एक बिकट समस्या है। समस्या इसलिए है कि इस अंधविश्वास के प्रति लोगो का इस कदर रूझान है कि लोग डायन को सच समझ उसकी सामाजिक यातना (प्रताड़ना) या हत्या कर बैठते हैं।

डायन का तात्पर्य है कि कोई महिला तंत्र विद्या व मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने इस विद्या द्वारा कष्ट दे सकती है चाहे तो मार डालती है। वह सिद्धि प्रोप्ति के लिए इस्ट को अपने प्रिय संबंधी की बलि भी चढ़ाती है।

गांव में यदि ज्यादा दिन से बीमार है किसी कि असमय मृत्यु हुई है या किसी के घर में असमय कई लोगों कहते हैं यह किसी डायन की करनी है। ऐसे में ओझा, गुणी या तांत्रिक के पास जाकर लोग पता लगाते हैं कि यह किसी डायन का कृत्य है। अस्पष्ट नाम तथा घर का लोकेशन बताये जाने पर उस डायन को लोग प्रताड़ित करने लगते हैं। कुछ लोग आवेश या नशे में आकर हत्या कर देते हैं। लोगो का ऐसा मानना है कि अगर उस मल मुत्र घोलकर पिला दिया जाय तो उसकी (डायन) सिद्धि समाप्त हो जाती है। लोग प्रायः गांव में यही दंड ज्यादा देते हैं इससे गांव में आपसी

नमुटाव एवं केश मुकदमा तक हो जाता है। लोग न्यायालय पुलिस से परेशान तथा अपव्यय में फंसे रहते हैं।

एक सोध के आधार पर झारखण्ड में प्रति वर्ष लगभग 1231 महिलाओं को डायन घोषित किया जाता है तथा उन्हें अलग अलग तरिके से प्रताड़ित किया जाता है। समस्या यह है कि यह एक मानोवैज्ञानिक रोग है। अनेक मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक ने इसे शंका अंधविश्वास के साथ साथ मनोवैज्ञानिक असंतुलन ही कहा है। अगर कोई महिला डायन बनने को सोचते हैं या इस ओर अग्रसर होकर अनाप सनाप कृत्य करती है तो यह समझना चाहिए कि उसमें अवश्य कुछ मानसिक विकृति है।

प्रशासन द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास हुए हैं। आज ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर पाबंदी लगायी थी। उस काल में अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आये लेकिन आजादी के बाद सर्वप्रथम इ प्रथा के विरुद्ध विधान सभा में 1999 ई0 में आवाज उठाई गई और डायन प्रथा प्रतिरोध विधेयक 1999 लागू किया गया।

इस विधेयक में कहा गया कि :-

किसी को डायन कराने पर 3माह की सजा

डायन कहने पर 1000रू0 का जुर्माना भी हो सकता है अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है।

डायन कहकर मारसिक या शारीरिक दंड देने पर दोषी व्यक्ति को 3 माह की सजा या 2000रू0 का जुर्माना देने होंगे या दोनों दंड भी दियेजा सकते हैं।

डायन कहकर बदनाम करने एवं इसके दुर प्रचार करने से दोषी व्यक्ति को तीन माह की सजा या 1000रू0 जुर्माना हो सकता है।

पलामू के सदरभ में कानूनी प्रयास

अगस्त 2017 में सभी ओझा गुणी और झाड़ फूंक करने वाले लगभग 196 लोगों को चिन्हित कर कारवाई की गई थी। मलामू में अंधविश्वास फैलाने वाले या बढ़ावा देने वाले को छत्तरपुर से 27, नौडिहा बाजार 32, जबकी आधा दर्जन लगभग पांकी के इलाके में चिन्हित किया गया था।

आत्मा एवं बलि/समर्पण

प्राचीन काल से आत्मा की अवधारणा विश्वास दोहरे शरीर में विश्वास की भांति थी, एक भौतिक शरीर व दूसरा उसकी परछाई। आत्मा में विश्वास ने कई अन्य विश्वासों के जन्म दिया जैसे :- बाद की दुनिया, स्वर्ग नर्क, आत्मा का वृकोन्माद। मानव आत्मा का पशु शरीर में जाना और कई जन्मों में आत्मा का पुनर्जन्म। आत्मा हमेशा अनश्वर मानी गई है जो दुसरे संसार या शरीर में चली जाती थी। कभी कभी आत्मा एक शक्ति के रूप में मानी जाती है।

सभी समुदायों (पंथों) में बलि की अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बलि ईश्वर को कुछ अर्पण करने के अर्थ में समझी जा सकती है या स्वयं को वंचित करने के लिए कुछ छोड़ने के अर्थ में। कभी कभी ये दोनों एक साथ पायी जाती है, जैसे बाईबिल में अब्राहम से अपने पुत्र को ईश्वर को अर्पण करने की अपेक्षा की गयी है। इस्लाम में बकरीद पर अभी पौराणिक गाथा के अनुसार घर में पाली गयी बकरी या पशु की बलि खुदा को दी जाती है। आत्मा के अवधारणा के अनुसार रक्त की बलि नरहत्या नहीं मानी जाती वरन शरीर से आत्मा का निष्कासन माना जाता है ताकि उस देव के पास जा सके जिसके लिए अर्पण किया जा रहा है। जब पशु की बलि चढ़ाई जाती है तो यह एक पशु का प्रतिक होती है। किसी किमती वस्तु का अर्पण करने का विचार का अर्थ है कि वह देवता को प्रसन्न करने में उसका उतना ही मूल्य अधिक होगा।

बलि चढ़ाये गये पशु अथवा फल या सब्जी का आयोजन करने वाले ही वास्तव में खाते हैं तथा ईश्वर केवल प्रतीकात्मक रूप से खाते हैं। अर्पण किये गए जिस वस्तु को आयोजित नहीं खाते हैं उसे मिट्टी के बनाकर अर्पण करते हैं। इसका उदाहरण - वीर कुंअर, चेढी धाम इत्यादि पर देखने को मिलता है। आयोजक घोड़ा नहीं खाते इस लिए मिट्टी का घोड़ा बनाकर उसे सिंदूर, घी, से टिक कर अर्पण की परम्परा देखी जा सकती है।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मानव समुदाय (आयोजक) अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पशु बलि की परम्परा प्रारंभ ही होगी ताकि ईश्वर के अर्पण के आड़ में अपना पेट भर सके। नहीं तो मिट्टी के बने बकरी, मुर्गी, भेड़ा, सुअर, इत्यादि अर्पण करने की परंपरा होती तथा ईश्वर इसे प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार भी करते।

वैज्ञानिक सोच पैदा करने की जरूरत

वैज्ञानिक स्वभाव वास्तव में एक आदत है कि अंधविश्वास और आलौकिक शक्तियों न माने और निष्कर्ष तक पहुंचने और निर्णय लेने के लिए सबूतों, कारणों, और तर्कों का सहारा लें। हमारे समाज में वैज्ञानिक स्वभाव की कमी क्यों है? क्योंकि अंधविश्वास और आस्थाएँ इतने प्रचलित हैं और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मेरी दलील है कि इसके लिए वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैं जल्द ही दलील देने वाला हूँ कि लोगों को वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक के समूहों में बांटना बेतुका है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर भी मैं इस वर्गीकरण का उपयोग कर रहा हूँ, तो एक और बात और कहना चाहता हूँ। एक कामकाजी वैज्ञानिक के रूप में गैर वैज्ञानिकों पर दोषारोपण की बजाय आरोपों के उस हिस्से पर बात करना चाहूंगा जो वैज्ञानिक के पाले में हैं और वैज्ञानिक किस तरह स्थिति में बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं।

मेरा पहला मुद्दा यह है कि दुर्भाग्य से हम विज्ञान को केवल ज्ञान के एक भंडार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान ज्ञान का एक भंडार है, लेकिन मेरी राय में

यह एक संयोग ही है। विज्ञान मुख्य रूप से पद्धतियों का एक समुच्चय है, औजारों एक किट है जिसका प्रयोग हम ज्ञान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। विज्ञान की पद्धति में हम अवलोकन और प्रयोग करते हैं और निर्णय लेने के लिए सबूत तर्क और आंतरिक सुसंगति का अपयोग करते हैं।

वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कब करना चाहिए और कब इसकी आवश्यकता नहीं है:-

अच्छे या बुरे की फैसला साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए न कि आस्था पर। अगर इस बात का खुलकर प्रचार किया जाय कि पेशेवर वैज्ञानिक भी 24/7 वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं तो वैज्ञानिकों और गैर वैज्ञानिकों के बीच कथित भेदभाव तोड़ने में मदतगार होगा।

विज्ञान को पद्धतियों के एक समुच्चय के रूप में सिचना चाहिए न कि तथ्यों के ऐसे भंडार के रूप में जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने जादुई ढंग से की है और उसमें विश्वास करने लगे हैं। तभी यह समाज में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित कर सकते हैं और अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षा ने बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए ताकि जब यह बताया गया कि गणेश की मूर्ति ने दुध पीना शुरू कर दिया है तो तरीके, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षा, प्रयोग, तर्क, आंतरिक सुसंगति और सवाल पूछने तथा शंका के तनोभाव का प्रयोग करके यह तय करे कि यह संभव है या नहीं। वैज्ञानिक सोच विकसित करने में वैज्ञानिक बहुत कुछ कर सकते हैं।

खण्ड-सी

अध्ययन विधि

मानव समाज एक जटिल समग्रता है, जिसमें एक दुसरे से भिन्न इतनी अधिक अंतरक्रियाओं तथा प्रक्रियाओं का समावेश होता है कि उन्हें व्यवस्थित रूप से समझे बिना समाज के वास्तविक रूप से समझने का दावा नहीं किया जा सकता है। अगस्त कॉम्ट से पहले तक अधिकांश विचारकों और दार्शनिकों की धारणा थी कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता। कॉम्ट ने ऐसी भ्रमपूर्ण धारणाओं को दूर करते अपने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण वह प्रमुख आधार है, जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का भी सामाजिक अध्ययन संभव है।

सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे (Suruey) का हिन्दी रूपान्तरण है। यह दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द (Sur) है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। दुसरा शब्द (Ieeiv) है जो लैटिन भाषा से लिया गया है तथा इन दोनों का अर्थ क्रमशः 'उपर' और 'देखना' है। इस प्रकार (Suruey) का शब्दिक अर्थ किसी घटना को उपर से देखना है। वर्तमान समय में सर्वेक्षण के लिए इसी अर्थ को पर्याप्त नहीं समझा जाता, बल्कि एक पद्धति के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग एक विशेष अर्थ में किया जाने लगा है। सर्वेक्षण का तात्पर्य एक ऐसी अनुसंधान प्रणाली से है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता से संबंधित इकाईयों का स्वयं अवलोकन करता है और पक्षपात रहित ढंग से तथ्यों को एकत्रित करके सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य :-

- सामाजिक तथ्यों का एकीकरण :-
- सामाजिक समस्याओं का अध्ययन :-
- सामाजिक समस्याओं का सामाधान :-
- सामाजिक घटनाओं का व्याख्या :-
- कार्य-कारण संबंध का ज्ञान :-
- परिकल्पना का निर्माण तथा परिक्षण :-
- सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन :-
- विकाश कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन :-
- जनमत का पुर्वानुमान :-


सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति उद्देश्यो तथा पद्धतियों में इतनी अधिक समानता है कि एक स्थान पर अक्सर दुसरे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। इन समस्याओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है।

- सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान दोनों का ही संबंध घटनाओं क व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने से है।
- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के अंतर्गत केवल वर्तमान तथ्यों का ही अध्ययन न करके नए तथ्यों को खोजने का भी प्रयत्न किया जाता है।
- अध्ययन प्रविधियों के दृष्टिकोण से भी सर्वेक्षण तथा अनुसंधान एक दुसरे के समान है। उदाहरण के लिए अवलोकन, निर्देशन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा व्यक्ति अध्ययन जैसी प्रविधियां का प्रयोग दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पनाओं की सत्यता जाँच करता है। इस दृष्टि कोण से भी सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के बीच घनिष्ठ संबंध है।

इकाईयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करता है, जिससे चुनी गई इकाइयां सेपूर्ण समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। इस विधि से कई लाभ हो सकते हैं।

5 साक्षात्कार :- प्रथमिक तथ्यों के संकलन करने के लिए यह एक अत्यधिक लोकप्रिय और बहु प्रचलित पद्धति है। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पायी जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है। जिसमें से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर-प्रति-उत्तर करते हैं। एक अनुसंधानकर्ता दूसरा उत्तरदाता होता है।

मैंने भी अपने अध्ययन कार्य में साक्षात्कार प्रविधि का उपयोग किया, जिससे विषय से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने में अधिक सहूलियत हुई, जो अत्यधिक विश्वासनीय तथा अधिक व्यवहारिक साबित हुई।



GULAB CHAND PRASAD AGRAWAL COLLEGE

(Supported by: MDDBPA CHARITABLE TRUST, Regd- 1099) Affiliated by N.P.U.
Village - Sadma, Post - Chhattarpur, Distt - Palamau (Jharkhand)

Ref. G.C.P. 4/24/019

Date 28/05/2019

साक्षात्कार अनुसूचि का प्रतिनिधि

सामाजिक अन्वेषिधाम: हैदरनगर (पलामू) भूत मेला के मन्दर्भ में।

निवेदन

महाशय,

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य शैक्षणिक है। जिसके द्वारा पलामू में रहने वाले आदिम, नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों में " सामाजिक अन्वेषिधाम: हैदरनगर (पलामू) भूत मेला के मन्दर्भ में " एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं नव्य एकत्रित करना है।

आपकी सूचनाएँ गुप्त रखी जाएगी। अतः आपसे तम्र निवेदन है कि आप स्वतंत्र रूप से उत्तर दें। जिसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

---: मुख्य प्रवेशक ---
28/05/2019
प्रो० राजमोहन (समाजशास्त्र विभाग)
गुलबचन्द प्रसाद अग्रवाल कॉलेज
सडमा छतरपुर (पलामू)

28/05/19
(प्रो० जीतेन्द्र कुमार)
गुलबचन्द प्रसाद अग्रवाल कॉलेज
सडमा छतरपुर (पलामू)

City Office - PUSHPANJLI, Dak Bankla Road, P.O- Daltonganj-822101, Palamau (Jharkhand)

तथ्य संकलन सारणी एवं विशलेषण

पलामू में अमाजिक अंधविश्वास का नाकारात्मक प्रभाव की समस्यायें देखने को मिल रही है। अतः इन सभी प्रकार की प्रभाव अर्थात् अलग समस्याओं की बृद्धि तथा निदान हेतु विभिन्न चरों को विभिन्न आधार बनाया है। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उन सभी के लिए आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आय, का महत्वपूर्ण आधार माना है।

(क) लिंग के आधार पर :- लिंग के आधार पर उत्तरदाता को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग है। पुरुष वर्ग की उत्तरदायी की संख्या 18 है। जिन्होंने 72 प्रतिशत विचार व्यक्त किये, जबकि महिला वर्ग की उत्तर की संख्या 7 है। जो 28 प्रतिशत विचारों को व्यक्त किया है।

लिंग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पुरुष	18	72
महिला	7	28
कुल	25	100

उपरोक्त सारणी में 25 उत्तरदाताओं का लिंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 18 और प्रतिशत 72 है। महिला उत्तरदाताओं की संख्या 7 और प्रतिशत 28 है।

(ख) आय समुह के आधार पर :- हमारे तथ्य संग्रह में मानवीक आय में भी अध्ययन का आधार माना गया है। हमारे उत्तरदायी को चार वर्ग समुह में बांटा गया है जो 1000/-, 2000/-, 3000/-, 4000/-,

मासिक आय	उत्तरदाता की संख्या	प्रतिशत
0-1000/-	17	68
1000-2000/-	4	16
2000-3000/-	2	8
3000-4000/-	2	8
कुल	25	100

उपरोक्त सारणी में 25 उत्तरदाताओं का आय समूह के आधार पर वर्गीकरण किया गया जिसमें 0-1000 रुपये वाले की संख्या 17 और प्रतिशत 68 है, 1000-2000 मासिक आय के उत्तरदाताओं की संख्या 4 और प्रतिशत 16 है इसी तरह 2000-3000, 3000-4000 के उत्तरदाताओं की संख्या 2, 2 तथा प्रतिशत 8 है।

(ग) आयु के आधार पर :- इन समूह में पाँच उत्तर दायी को वर्गीकृत किया जाता है। और उसके साथ संपर्क स्थापित किया गया ये समूह 14-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50- से अधिक है।

आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
14-20 वर्ष	10	40
20-30 वर्ष	5	20
30-40 वर्ष	5	20
40-50 वर्ष	3	12
50- से अधिक	2	8
कुल	25	100

आयु के आधार पर 25 उत्तरदाताओं से आयु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, 14-20 वर्ष, 20-30 वर्ष, 30-40 वर्ष, 40-50 वर्ष तथा 50 से अधिक आयु वाले का वर्गीकरण किया गया जिसमें उत्तरदाताओं की संख्या 10, 5, 5, 3, तथा 2 है जिसका प्रतिशत क्रमशः 40, 20, 20, 12, तथा 8 है।

(घ) वैवाहिक स्थिति :- हमारे तथ्यों के संकलन के दौरान पाँच प्रकार के तथ्यों को संग्रहित किया है जो अविवाहित, विवाहित, विदुर, विधवा, तलाक सुदा है।

वैवाहिक स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अविवाहित	10	40
विवाहित	5	20
विदुर	1	4
विधवा	5	20

तलाक सुधा

कुल

4

16

25

100

वैवाहिक स्थिति के आधार पर 25 उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किया गया है जिसमें उत्तरदाओं की संख्या अविवाहितों की संख्या 10 है, विवाहित 5, विदुर 1, विधवा 5, तलाकसुधा 4 है जिसका प्रतिशत क्रमश 40, 20, 4, 20, तथा 18 है।

(ड.) परिवार के आधार पर :- परिवार के अंतर्गत में उत्तर दाता दो श्रेणियों में विभक्त किय गए है जो संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार से संबंधित है।

परिवार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
संयुक्त परिवार	15	60
एकांकी परिवार	10	40
कुल	25	100

परिवार के आधार पर 25 उत्तरदाताओं का वर्गीकरण किया गया है जिसकी संख्या संयुक्त परिवार की संख्या 15, एकांकी परिवार की संख्या 10 है जिसका प्रतिशत 60 एवं 40 है।

खण्ड - सी

- 1 क्या आज युवा पीढ़ी परम्परागत विचारों से सहमत है?
क) हाँ 35 प्रतिशत ख) नहीं 65 प्रतिशत
- 2 क्या पलामू में अंधविश्वास है? क्या आप ऐसा मनते है?
क) हाँ 94 प्रतिशत ख) नहीं 6 प्रतिशत
- 3 क्या समाजिक अंधविश्वा समाज के लिए खतरा है? इसे पुनतः रोकना होगा।
क) हाँ 92 प्रतिशत ख) नहीं 4 प्रतिशत ग) पता नहीं 4 प्रतिशत
- 4 क्या सामाजि अंधविश्वास के कारण शारीरिक एवं आर्थिक हानि होती है?
क) हाँ 61 प्रतिशत ख) नहीं 35 प्रतिशत ग) पता नहीं 4 प्रतिशत

- 5 क्या झाड़-फूक कराने से शरीर के कार्यक्षमता में बृद्धि होती है?
क) हॉ 12 प्रतिशत ख) नही 80 प्रतिशत ग) पता नहीं 8 प्रतिशत
- 6 क्या जानकारी के आभाव में अंधविश्वास में फसे हुए है करते है?
क) हॉ 22 प्रतिशत ख) नही 78 प्रतिशत
- 7 क्या गृह कलेश और डायन-वियाही हिंसा का परिनाम है?
क) हॉ 92 प्रतिशत ख) नही 4 प्रतिशत ग) पता नहीं 4 प्रतिशत
- 8 क्या अंधविश्वास करने वाले के संगति से दुर रहना चाहिए?
क) हॉ 97 प्रतिशत ख) नही 3 प्रतिशत ग) पता नहीं 0 प्रतिशत
- 9 सामाजिक अंधविश्वास रोकने के लिए क्या कानूनी व्यवस्था को दुरुस्थ करनी चाहिए?
क) हॉ 82 प्रतिशत ख) नही 0 प्रतिशत ग) पता नहीं 18 प्रतिशत
- 10 क्या सामाजिक अंधविश्वास युवापीढी ही नहीं बल्कि मानव भविष्य के लिए अभिशाप है?
क) हॉ 97 प्रतिशत ख) नही 3 प्रतिशत ग) पता नहीं 0 प्रतिशत
- 11 क्या डायन वियाही का शिकार ग्रमीण अशिक्षित महिलायें ज्यादा हुई है?
क) हॉ 88 प्रतिशत ख) नही 10 प्रतिशत ग) पता नहीं 2 प्रतिशत
- 12 क्या समाजिक अंधविश्वास को रोकने में कानून (पुलिस व्यवस्था) सफल है?
क) हॉ 64 प्रतिशत ख) नही 20 प्रतिशत ग) पता नहीं 06 प्रतिशत

पलामू के अखबारों में समाजिक अंधविश्वास बना सुर्खि

मन्त्र

आज से पूर्व गंगु ने स्वयं पुत्र का हठन किया
पिता ने पुत्र की बलि चढ़ा दी



पलामू के एक अखबार में 'मन्त्र' नामक एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक महिला की तस्वीर है। लेख का शीर्षक 'आज से पूर्व गंगु ने स्वयं पुत्र का हठन किया, पिता ने पुत्र की बलि चढ़ा दी' है। लेख में अंधविश्वास और समाजिक अंधविश्वास के बारे में चर्चा की गई है।

अंधविश्वास फैलाने वाले 196 लोगों के खिलाफ कार्रवाई

कोर्ट की... विरुद्ध...

पलामू के अखबारों में समाजिक अंधविश्वास के बारे में चर्चा की गई है। 196 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पलामू में भी चोटी कटवा फैला रहा है अपना पांव?

चैनपुर काज चौर में एक ही रात में तीन महिलाओं की चोटी कटी



पलामू में भी चोटी कटवा फैला रहा है अपना पांव? चैनपुर काज चौर में एक ही रात में तीन महिलाओं की चोटी कटी।

डायन बता कर हत्या के लिए उकसाने के आरोप में और दो महिलाएं गिरफ्तार

आज रात में उकसे के बाद गिरफ्तार, टैक्सो चौर में 14 अपराध को काट गई थी लखि देको की हत्या



डायन बता कर हत्या के लिए उकसाने के आरोप में और दो महिलाएं गिरफ्तार। आज रात में उकसे के बाद गिरफ्तार, टैक्सो चौर में 14 अपराध को काट गई थी लखि देको की हत्या।

प्रभात खबर

ओड़ा सहित तीन गिरफ्तार

यथार्थ... अज्ञान... अंधविश्वास...

ओड़ा सहित तीन गिरफ्तार। यथार्थ... अज्ञान... अंधविश्वास...

बालूनाथ में चोटीकटवा की अफवाह

तलमने के लिए घरों में टंटे नीम और लीवू लिये

बालूनाथ में चोटीकटवा की अफवाह। तलमने के लिए घरों में टंटे नीम और लीवू लिये।

चैनपुर में तीन महिलाओं की कट गई चोटी



चैनपुर में तीन महिलाओं की कट गई चोटी। चैनपुर में तीन महिलाओं की कट गई चोटी।

चोटीकटवा की शक पर शिक्षित को पीटा

खरारी। एक बार फिर से चोटी काटने की अफवाह फैल गई है। जहां चोटी कटने की घटना हुई वहां अहले सुबह लोगों को भीड़ जमा हो गयी, लेकिन चोटी किलकारी कटी पत्ता नहीं चला।

चोटी कटने की अफवाह में खरारी के गुलजार बाग में लोगों ने एक शिक्षित को फकड़ कर जमकर पीटाई कर दी, फिर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद डीएसपी कार्यालय के पास लोगों की भीड़ जमा हो गयी। भीड़ काफी उत्तेजित थी। विवश होकर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई।

निष्कर्ष

"सामाजिक अंधविश्वास" हैदर नगर (पलामू) में भूत मेला के संदर्भ में के क्षेत्रीय कार्य के इस निष्कर्ष पे हम पहुचते है कि पलामू में अंधविश्वास अशिक्षित तथा ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित महिलाओं में ज्यादा व्याप्त है आज भी लोग तंत्र-मंत्र, जादू-टोना के पीछे समय, स्वास्थ्य और धन खो रहे है। वृद्ध और विधवा महिलाओं को डायन वियाही के नाम पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक यातनाएं दिये जा रहे है यहां तक की हत्याएं भी की जा रही है।

भूत-प्रेत, डायन-वियाही को लेकर सरकारी या गैरसरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कानून अधिनियम भी बने है लेकिन जरूरत है सख्ती से पालन करने की। जब तक समाज के प्रबुद्ध, अगुआजन, जनप्रतिनिधि और युवा पीढी आगे आकर बढचढकर आगे नहीं आयेगे तब तक सकारात्मक प्रयास का परिणाम कम ही आयेगा। किन्तु युवा पीढी वैज्ञानिक तरीके से चिंतन मनन कर समाज का अगुआ बनते है तो जरूर सकारात्मक परिणाम समाज के सामने आयेगा। भूत-प्रेत, डायन-वियाही, ओझा-गुणी की जड़ कितनाहूँ गहरी हो। उखाड़ फेकना आसान होगा। इसमे आज से ही युवा पीढी सहभागी बनेगी।


संदर्भ सूची

1. रिसर्च मैथोलॉजी डा० डी० पी० शुक्ल
2. सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान शर्मा एवं गुप्ता
3. पलामू का इतिहास स्व० हवलदारी रामगुप्त 'हलधर'
4. भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या प्रो० एल० एम० गुप्ता
5. सुबह की धुप अक्टूबर 2015 मासिक पत्रिका

6. इंटरनेट से—
7. राष्ट्रीय नवीन मेल 21 मार्च 2018, पीयूष पाण्डेय
8. धर्म का समाजशास्त्र
9. झारखण्ड की रूपरेखा डॉ० राम कुमार तिवारी
10. राष्ट्रीय नवीन मेल 08 अक्टूबर 2018
11. दैनिक भस्कर 19 अगस्त 2017
12. खबर मंत्र 06 फरवरी 2019
13. हिन्दुस्तान 18 अगस्त 2017



स्नातक समाजशास्त्र प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष 2016-2019 के छात्र एवं छात्राओं के साथ दायें में महाविद्यालय के प्रभारी प्रचार्य प्रो० जितेन्द्र कुमार तथा बायें में प्रो० राज मोहन (समाजशास्त्र विभाग)।



नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर